UPFR040171572026

Bail Application/2624/2026

Kajal Vs. State Government

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद फर्रुखाबाद

उ०प्र०राज्य बनाम काजल।

मुकदमा अपराध संख्या– 182 सन 2026
धारा– 140(2),61(2),308(5),308(6),
190,191(2),191(3),115(2),352,
351(3),324(2)बी०एन०एस०
थाना– को० फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद।

दिनांक– 11–08–2026

1. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम काजल, मुकदमा अपराध संख्या– 182 सन 2026, अंतर्गत धारा– 140(2), 61(2), 308(5), 308(6), 190, 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 324(2) बी०एन०एस०, थाना कोतवाली फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के प्रकरण में अभियुक्त काजल पुत्री स्व० नरेन्द्र निवासी ग्राम नगला खरीक डूंगरपुर पोस्ट महोई, थाना मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है।
2. अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।
3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त केस में महज झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को दिनांक 25–07–2026 को घर से पकड़ कर याकूतगंज पुलिस चौकी में 3–4 दिन तक बैठाए रहे और दिनांक 27–07–2026 को झूठा चालान कर दिया। अभियुक्त द्वारा कोई घटना घटित नहीं की गयी है। उक्त बिन्दुओ के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।
4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन किया।
5. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 140(2), 61(2), 308(5), 308(6), 190, 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 324(2) बी०एन०एस०, का आरोप लगाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति नितांत गम्भीर है तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

Digitally signed by Yugnul Shambhu
Date: 2026.08.11 16:56:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतः अपराध की प्रकृति एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम काजल, मुकदमा अपराध संख्या– 182 सन 2026, अंतर्गत धारा– 140(2), 61(2), 308(5), 308(6), 190, 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 324(2) बी०एन०एस०, थाना कोतवाली फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के प्रकरण में अभियुक्त काजल की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(युगल शम्भू)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फर्रुखाबाद। (UP2615)